

Notice/कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/3/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: /10/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

राजपुरा-दरीबा सीसा-जास्त खान,

मेसर्स: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,

पोस्ट: दरीबा, तालुका: रेलमगरा,

जिला: राजसमंद (राजस्थान), पिन: 313211.

(e-mail: sanjay.kumar5@vedanta.co.in, nathu.choudhary@vedanta.co.in, sandeep.rajput@vedanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित आपकी राजपुरा-दरीबा सीसा-जास्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/08/2023 and 29/08/2023 by undersign in presence of Sri Sanjay Kumar, Mine Manager & Mining Engineer and Sri Sandeep Rajput, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2022-23 following discrepancy have been observed: (1) Part-I, Para 12: As per approved Modification in Review of Mining Plan an area of 7.09 hectare has been furnished under mining, whereas same has not furnished under mentioned para. Further, area of work done under progressive mine closure plan during the year is also not furnished. (2) Part V, Para 4: The quantity of the waste at the beginning of the year in CuM is not furnished. Similarly, the waste quantity at the end of the year is also not furnished. (3) Part VII: Production figure is not furnished under heading "Production reported during the financial year 2022 – 2023" in second table.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।
05. क्रपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमंद ।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर